

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

—•• संशोधित आदेश ••—

भोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ 12-32/2014/सत्रह/मेडि-3 राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.08.14 में नियमानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :

“गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के रोगियों को यदि राज्य बीमारी सहायता निधि से एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात् दूसरी बार पुनः चिन्हित बीमारियों में उपचार/सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इस हेतु रु.2.00 लाख (दो लाख रु.) मात्र की सकल सीमा में रहते हुए (दोनों चिन्हित बीमारियों के प्रकरणों को मिला कर) सहायता प्रदान की जाए । ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाए । पात्र हितग्राही को चिन्हित बीमारियों के लिये राशि रु.2.00 लाख तक की सकल सीमा के अंतर्गत परिवार के सदस्य को भी आवश्यकता होने पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा ।”

उक्त आदेश दिनांक 28.08.14 से प्रभावशील माना जावेगा ।

म.प्र.राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ.गनी अहमद खान)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 29/11/2015

पृष्ठां. क्रमांक एफ 12-32/2014/सत्रह/मेडि-3,  
प्रतिलिपि:—

1. निजसचिव, माननीय मंत्रीजी/माननीय राज्यमंत्री जी, लोक स्वा.एवं परि.कल्याण विभाग, म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।

(कृपया आदेश वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें)

4. समस्त संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग